छत्तीसगढ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
(अधिसूचना)

रायपुर दिनांक 21/6/05

कमांक एफ–20–95/04/11/6 राज्य शासन एतद् द्वारा 1 नवंबर 2004 से प्रभावी **"छत्तीसगढ राज्य प्रौद्योगिकी प्रोन्नति अनुदान नियम–2004"** निम्नानुसार लागू करता है ।

1– **परिचयः–**

राज्य शासन द्वारा राज्य में स्थापित होने वाले औद्योगिक इकाईयों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, गुणवत्ता एवं उत्पादकता में विकास तथा अर्न्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने, उद्योग में नवीन तकनीकी पद्धतियों / प्रणालियों को अपनाने हेतु " प्रौद्योगिकी प्रोन्नति योजना" का विस्तार किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी प्रोन्नति कोष (ज्मबीदवसवहल न्च ळतंकंजपवद थ्नदक) से राज्य की विद्यमान औद्योगिक इकाईयों को उद्योग की तकनीकी प्रोन्नति हेतु वित्तीय संस्थाओं / बैंक से लिये गए सावधि ऋण के विरूद्ध ब्याज अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी ।

2– **नियम :–**

ये नियम **"छत्तीसगढ राज्य प्रौद्योगिकी प्रोन्नति अनुदान नियम –2004"** कहे जावेगें।

3– **प्रभावशील तिथि :–**

ये नियम दिनांक **01.11.2004** से प्रभावशील होंगे ।

4– **परिभाषाएें :–**

1– इस योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग इकाई, मध्यम–वृहद औद्योगिक इकाई, मेगा प्रोजेक्ट, अति वृहद उद्योग, विद्यमान औद्योगिक इकाई, विशेष थ्रस्ट उद्योग, सामान्य उद्योग,अपात्र उद्योग, सावधि ऋण, अनिवासी भारतीय, शत प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक, कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक व प्रशासकीय पदों पर कार्यरत कर्मचारियों तथा "राज्य के मूल निवासी" की वहीं परिभाषाएं होगी जो **"छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना– स्थायी पूंजी अनुदान नियम 2004"** में उल्लेखित है ।

2– **सावधि ऋण :–**

सावधि ऋण से आशय है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु अधिसूचित बैंक, / वित्त निगम / छत्तीसगढ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0, या अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम/ अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, अखिल भारतीय वित्त संस्थान / जिला केन्द्रीय सहकारी बैक / नागरिक सहकारी बैंक द्वारा स्वीकृत व वितरित सावधि ऋण या राष्ट्रीय लद्यु उद्योग निगम से भाड़ा कय योजना के अंन्तर्गत प्राप्त की गयी मशीनरी का कय मूल्य।

3– **तकनीकी प्रोन्नति :–**

तकनीकी प्रोन्नति से आशय है स्थापित मशीनों में कुछ जोडकर या स्थापित मशीनों के स्थान पर नवीन तकनीकी वाली ऐसी मशीनों की स्थापना करना जिससे उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार हो या उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो या निर्मित उत्पाद की लागत में कमी आये या अपेक्षाकृत कम श्रमिकों की आवश्यकता हो ।

5– **पात्रता:–**

5.1– औद्योगिक नीति 2004–09 के लागू होने के दिनांक 1.11.2004 के पूर्व दिनांक 31.10..2004 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली विद्यमान कार्यरत तथा बंद औद्योगिक इकाईयों को, ("उपाबंध 4" में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़ कर) जिन्होने पूर्व में उद्योग की तकनीकी प्रोन्नति हेतु ऋण नही लिया है, इस अधिसूचना के अधीन अनुदान की पात्रता होगी ।

5.2– औद्योगिक इकाईयों को पात्रता तभी होगी जब "तकनीकी प्रोन्नति" की आवश्यकता के निर्धारण हेतु गठित समिति यह अनुशंसा करती है कि विद्यमान औद्योगिक इकाई को बाजार में प्रतिस्पर्धा मे बने रहने; उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार या उत्पादकता में वृद्धि अथवा स्थापित मशीनों की कार्य क्षमता / उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु उद्योग में तकनीकी प्रोन्नति की जाना आवश्यक है।

5.3– भारत शासन/ राज्य शासन या किसी राज्य शासन के निगमों /मंडलों /संस्थाओं /बोर्ड (निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों को छोड़ कर) द्वारा स्थापित उद्योगों को इस अधिसूचना के अधीन पात्रता नही होगी ।

5.4– यह आवश्यक है कि उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से पात्रता अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किया गया हो ।

5.5– ब्याज अनुदान का प्रथम स्वत्व इस योजना के अर्न्तगत स्वीकृत ऋण के वितरण के प्रथम दिनांक से एक वर्ष के भीतर पूर्ण रूपेण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

5.6– तकनीकी प्रोन्नति हेतु ब्याज अनुदान की रियायत यदि भारत शासन / राज्य शासन या राज्य शासन के किसी अन्य विभाग निगम / बोर्ड /मंडल से प्राप्त की गयी हो तो इस अधिसूचना के अन्तर्गत पात्रता नहीं होगी।

5.7– उद्योग की तकनीकी प्रोन्नति हेतु केवल एक बार ही अनुदान की पात्रता होगी।

5.8– औद्योगिक नीति 2001–06 के अन्तर्गत विद्यमान औद्योगिक इकाईयों को अधिसूचना कमांक एफ–14 –2 –03–6–11–9 दिनांक 7.6.2003 के प्रावधानों के अनुसार ही पात्रता होगी ।

6– **प्रकिया:–**

इस योजना के अर्न्तगत अनुदान प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों के निराकरणों की प्रकिया दो चरणों में होगी–

1– **तकनीकी प्रोन्नति योजना का प्रस्तुतीकरण व स्वीकृति**

2– **प्रौद्योगिकी प्रोन्नति कोष से ब्याज अनुदान हेतु क्लेम**

6.1– **तकनीकी प्रोन्नति योजना का प्रस्तुतीकरण व स्वीकृति**

(1) पात्र विद्यमान औद्योगिक इकाइयों को प्रथमत: अपनी प्रस्तावित "तकनीकी प्रोन्नति योजना " के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एक आवेदन देना होगा, योजना के प्रथम भाग में विद्यमान औद्योगिक इकाई की पूर्ण स्थिति यथा भूमि, भवन, प्लांट एवं मशीनरी (प्रयोगशाला, अनुसंधान हेतु संयत्र एवं उपकरणों सहित) उत्पादन क्षमता व (वास्तविक उत्पादन मात्रा एवं मूल्य), विद्युत संयोजन व नियोजित कुशल, अकुशल तथा प्रशासकीय कर्मचारियों की संख्या व उत्पादन प्रकिया का उल्लेख होगा ।

योजना के द्वितीय भाग में तकनीकी प्रोन्नति की आवश्यकता के संबंध में विस्तृत टीप, जिसमें तकनीकी प्रोन्नति हेतु किये जाने वाले कार्यो, सुधारों का विवरण व उसमें प्रस्तावित निवेश की जानकारी मदवार मात्रा एवं मूल्य में दी जावेगी ।

योजना के अंतिम भाग में तकनीकी प्रोन्नति योजना पूर्ण होने के उपरांत उद्योग में होने वाले परिणामों यथा उत्पादन में वृद्धि, उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि, मशीनों की क्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि, विद्युत उपभोग में कमी, श्रमिकों में कमी आदि का विवरण दर्शाया जावेगा ।

(2) औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत योजना को महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, द्वारा यथा स्थिति जिला स्तरीय समिति में रखा जावेगा / उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जायेगा।

(3) जिला स्तरीय समिति, लघु औद्योगिक इकाईयों के मामलों में तथा राज्य स्तरीय समिति लघु औद्योगिक इकाईयों से भिन्न औद्योगिक इकाईयों के प्रकरणों का निराकरण करेगी । समिति की अनुशंसा उपरांत सदस्य सचिव द्वारा "तकनीकी प्रोन्नति की आवश्यकता बाबत पात्रता प्रमाण पत्र" जारी किया जावेगा, यदि समिति द्वारा योजना अस्वीकृत की जाती है तो निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा जिसमें निरस्तीकरण का कारण एवं निर्धारित अवधि में राज्य स्तरीय समिति को अपील कर सकने का उल्लेख होगा ।

(4) औद्योगिक इकाई द्वारा उद्योग में तकनीकी प्रोन्नति योजनानुसार कार्य पूर्ण करने की सूचना देने पर महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा स्थल निरीक्षण उपरांत तकनीकी प्रोन्नति योजना की पूर्णता विषयक प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा । महाप्रबंधक द्वारा स्थल निरीक्षण के कार्य में तकनीकी विशेषज्ञों, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के वैज्ञानिकों / यंत्रियों की सहायता आवश्यकता अनुसार ली जा सकेगी ।

अ– **जिला स्तरीय समिति**

1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	संयुक्त संचालक उद्योग	उपाध्यक्ष
3	लघु उद्योग सेवा संस्थान के नामांकित अधिकारी	सदस्य
4	लीड बैक अधिकारी	सदस्य
5	संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान / निगम जिनके द्वारा तकनीकी प्रोन्नति हेतु ऋण स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित किया हो/ स्वीकृत किया हो के प्रतिनिधि	सदस्य
6	शासकीय अभियांत्रिकी /पोलीटेक्नीक महाविघालय के नामांकित प्राध्यापक	सदस्य
7	छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के नामांकित वैज्ञानिक/यंत्री	सदस्य
8	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,	सदस्य सचिव

ब– **राज्य स्तरीय समिति**

1–	उद्योग आयुक्त	अध्यक्ष
2–	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पो लि0 या उनका नाम निर्देशिति (जो कार्यपालक संचालक स्तर से कम न हो)	सदस्य
3–	संचालक, लघु उद्योग सेवा संस्थान या उनके नामांकित अधिकारी	सदस्य
4–	महाप्रबंधक /उप महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, आंचलिक कार्यालय, रायपुर या उनके नाम निर्देशिती	सदस्य
5–	प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविघालय, रायपुर अथवा उनके नाम निर्देशिति	सदस्य
6–	छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के नामांकित वैज्ञानिक/यंत्री	सदस्य
7–	अपर संचालक उद्योग संचालनालय	सदस्य सचिव

समिति की गण पूर्ति 4 से होगी व समिति के अनुकमांक 3, 5 व 6 पर उल्लेखित सदस्यों में से किसी एक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

(5) समिति आवश्यकता होने पर विषय विशेषज्ञ /विशेषज्ञ संस्था को सहयोजित कर सकेगी। तकनीकी प्रोन्नति की आवश्यकता के संबंध में समिति सामूहिक रूप से दायी होगी, इसका उत्तरदायी सदस्य सचिव अकेला नही होगा ।

(एक) समिति सामान्यतः अपनी बैठकें 3 माह में एक बार करेगी, किन्तु लंबित आवेदनों की संख्या की दृष्टि से बैठक बार–बार बुलाई जा सकेगी । समिति प्रत्येक मामले पर विचार करने के पश्चात पात्रता प्रमाण पत्र मंजूर करने या उसके लिये किया गया आवेदन खरिज करने या अतिरिक्त जानकारी मंगवाने का विनिश्चय कर सकेगी ।

(दो) समिति द्वारा, आवेदन प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा ।

6.2– प्रौद्योगिकी प्रोन्नति कोष से ब्याज अनुदान हेतु क्लेम –

पात्र औधोगिक इकाईयों को तकनीकी प्रोन्नति योजना की स्वीकृति व अपने उद्योग में इस योजना के लागू होने के उपरांत "उपाबंध 1" के अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र में जो वित्त पोषक बैंक / वित्तीय संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षरित हो, निम्नांकित दस्तावेजों के साथ सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद कार्यालय द्वारा उपाबंध –5 पर निर्धारित प्रारूप में दी जावेगी।

(1) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैघ प्रस्तावित लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र / वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विनिर्माण संबंधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना /औद्योगिक लायसेंस / आशय पत्र (जो लागू हो)

(2) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी वैघ स्थाई लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र।

(3) तकनीकी प्रोन्नति योजनार्न्तगत ऋण स्वीकृति पत्र सिर्फ (पहले त्रैमास /छैःमास के आवेदन के साथ), उसके पश्चात स्वीकृति पत्र में संशोधन/ परिर्वतन होने पर सबंधित त्रैमास में संशोधित ऋण स्वीकृति पत्र।

(4) वित्तीय संस्थाओं / बैंकों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि सबंधित त्रैमास /छैःमास में ऋण का भुगतान नियमित रूप से किया गया है तथा औद्योगिक इकाई किसी भी रूप में "ऋण न चुकाने वाला" ; क्मनिसजमतद्ध नही है या यदि ऋण के भुगतान हेतु स्थगन दिया हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थगन प्रमाण पत्र।

(5) उद्योग की तकनीकी प्रोन्नति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये पात्रता प्रमाण पत्र की प्रति

6.3– औद्योगिक इकाई द्वारा ब्याज अनुदान सबंधी आवेदन ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से यथास्थिति त्रैमासिक/ छैःमाही आधार पर संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जावेगा।

6.4– महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रस्तुत स्वत्वों का परीक्षण "उपाबंध 2" के अनुसार निर्धारित प्रारूप में न्यूनतम प्रबंधक स्तर के अधिकारी से करवाकर स्वत्वों के नियमों के अधीन होने पर लघु उद्योगों के प्रकरणों में "उपाबंध 3" में निर्धारित प्रारूप पर स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा तथा नियमानुसार पात्र न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से सहमत न होने पर निर्धारित कालावधि में अपर संचालक उद्योग को निर्धारित अवधि में अपील कर सकने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा ।

मध्यम–वृहद उद्योगों के प्रकरणों में अपने अभिमत के साथ आवेदन पत्र सत्यापित दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत होने के 15 दिवसों के भीतर उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा जिस पर निर्णय उद्योग आयुक्त द्वारा लिया जावेगा। उद्योग आयुक्त द्वारा भी प्रकरण की स्वीकृति व निरस्तीकरण के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

स्वत्वों का निराकरण पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम 60 दिवसों में किया जावेगा ।

6.5– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा, बजट आबंटन उपलब्ध होने पर ही सबंधित वित्तीय संस्था /बैंक को अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करने हेतु प्रेषित की जावेगी जो सबंधित वित्तीय संस्था /बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा की जावेगी। अनुदान की राशि नगद में नही दी जायेगी ।

6.6– अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को अनुदान स्वीकृति के दिनांक के क्रम में किया जावेगा ।

6.7– बजट आवंटन उपलब्ध न होने पर अनुदान वितरण करने में होने वाले विलंब का कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा ।

7– प्रौद्योगिकी प्रोन्नति हेतु ब्याज अनुदान की मात्राः–

तकनीकी प्रोन्नति हेतु पात्र औद्योगिक इकाईयों को जिला /राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा उपरांत बैंक / वित्तीय संस्था द्वारा, दिये गये सावधि ऋण पर प्रौद्योगिकी प्रोन्नति कोष से निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा –

क– लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद बिलासपुर, जांजगीर– चांपा कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलो के क्षेत्र	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत)– अधिकतम सीमा रु. 5 लाख वार्षिक	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत)– अधिकतम सीमा रु. 12.5 लाख वार्षिक
श्रेणी ब– अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र ब्स्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलो के क्षेत्र	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत) अधिकतम सीमा रु. 10 लाख वार्षिक	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत) अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक

ख. मध्यम–वृहद उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद बिलासपुर, जांजगीर– चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलो के क्षेत्र	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गए ब्याज का 40 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत)– अधिकतम सीमा रू. 12.5 लाख वार्षिक	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गए ब्याज का 40 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत)– अधिकतम सीमा रू. 12.5 लाख वार्षिक
श्रेणी ब– अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र ब्स्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलो के क्षेत्र	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत)– अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत)– अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक

ग. मेगा प्रोजेक्ट

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद बिलासपुर, जांजगीर– चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलो के क्षेत्र	निरंक	निरंक
श्रेणी ब– अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलो के क्षेत्र	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत) अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत)– अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक

घ– रूपये 1000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत लागत वाले अति वृहद उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद बिलासपुर, जांजगीर– चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलो के क्षेत्र	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत) अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत)– अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक
श्रेणी ब– अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलो के क्षेत्र	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत) अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक	5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत)– अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक

7.1– अनुदान की कालावधि तकनीकी प्रोन्नति योजना के अर्न्तगत ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से प्रारंभ होगी।

7.2– अनुदान केवल मूल ब्याज के भुगतान के विरूद्ध देय होगा अर्थात विलंब शुल्क, शास्ति या अन्य किसी अतिरिक्त देय राशि पर अनुदान प्राप्त नही होगा ।

7.3– यदि किसी त्रैमास (छैःमास) में समय पर ब्याज या मूलधन की किशत न पटाने या अन्य किसी कारण से ऋणी को सबंधित वित्त पोषित संस्था द्वारा "ऋण न चुकाने वाला" ; क्मनिसजमतद्ध माना जाता है तो उस त्रैमास(छैःमास) के लिये ब्याज अनुदान की पात्रता समाप्त हो जायेगी भले ही आगामी त्रैमासों /छैःमासों में पूर्व के त्रैमास /छैःमास के डिफाल्ट को दूर कर लिया जाए, इस संबंध में वित्त पोषक संस्था को प्रत्येक त्रैमास/छैःमास में प्रमाण पत्र देना होगा।

8– **ब्याज अनुदान की वसुली :–**

8.1– ब्याज अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई के ऋण खाते मे जमा हो जाने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई / बैक / वित्तीय संस्था द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है या

तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की राशि मय ब्याज के, एक मुश्त वसूली योग्य हो जावेगी जिसकी वसूली संबंधित औद्योगिक इकाई/बैक या दोनों से भू–राजस्व के बकाया की वसूली के अनुसार की जा सकेगी । ब्याज की राशि, वसूली आदेश जारी होने के दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू पी0एल0आर0 पर 2 प्रतिशत जोड़ कर, तदनुसार वसूली के दिनांक तक के लिये निकाली जायेगी तथा देय होगी ।

8.2– उद्योग आयुक्त/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को यह अधिकार होगा कि ब्याज अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात नियमानुसार नही पाये जाने पर ब्याज अनुदान का स्वीकृति आदेश निरस्त कर सके एवं तदनुसार वसूली आदेश पारित कर सकें तथा यदि ब्याज अनुदान की राशि संबंधित वित्तीय संस्था / बैंक को प्रेषित कर दी गई है तो वापस प्राप्त कर सकें।

8.3– औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में स्वत्व की अवधि में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्र0 5.4 में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो ऐसी अवधि के लिये अनुदान की राशि, यदि की जा चुकी हो, संबंधित क्लेम को निरस्त कर, वापस प्राप्त की जा सकेगी/ भविष्य के स्वत्वों में समोजित की जा सकेगी ।

9– **अपील /वाद :–**

1– महाप्रबंधक द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध अपर संचालक, उद्योग संचालनालय को एवं उद्योग आयुक्त द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव को आदेश जारी होने के 30 दिवस के अन्दर अपील की जा सकेगी ।

अपील प्राधिकारी को अपील करने एवं आवेदन में हुये विलंब को प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर शिथिल करने का अधिकार होगा । अपील प्राधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा ।

2– नियमो की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं औद्योगिक इकाई तथा वित्तीय संस्था / बैंक के लिये बंधनकारी होगा।

3– इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

10– **स्वप्रेरणा से निर्णय :–**

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग /उद्योग आयुक्त किसी भी अभिलेख को बुला सकेगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेगें जैसा कि वे उचित समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

11– योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त सक्षम होंगे ।

12– प्रौद्योगिकी प्रोन्नति कोष के गठन के संबंध में पृथक् से शासनादेश जारी किये जावेगे ।

13– **योजना का कियान्वयन :–**

योजना का कियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा।

इस अधिसूचना हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के यू.ओ. नोट कमांक 836 दिनांक 30.05.2005 द्वारा स्वीकृति दी गयी है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(अनूप श्रीवास्तव)
विशेष सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग रायपुर

"उपाबंध 1"

(नियम 6.2)

"छत्तीसगढ राज्य प्रौद्यौगिकी प्रोन्नति अनुदान नियम–2004"के अन्तर्गत ब्याज अनुदान हेतु आवेदन पत्र

पात्रता अवधि.................... से ....तक क्लेम अवधि............... से ....तक

क0	1 औ0इकाई का नाम व पता 2 उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता 3 स्थायी लघु उद्योग पंजी0 / वा0 उत्पा0 प्रमाण पत्र क0 व दिनांक 4 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 5 ऋण वितरण का प्रथम दिनांक	तकनीकी प्रौन्नति की आवश्यकता संबंधी पात्रता प्रमाण पत्र कमांक व दिनांक	ऋण का विवरण				
			स्वीकृति			वितरित	
			ऋण का स्वरूप	स्वीकृत राशि	दिनांक	कुल वितरित राशि	दिनांक तक
			अ सावधि ऋण				
1	2	3	4	5	6	7	8

पूर्व मान्य क्लेम तक भुगतान किये गये ब्याज अनुदान का विवरण		वित्त पोषित संस्था को देय राशि का विवरण			औ0 इकाई द्वारा भुगतान की गयी राशि जिस पर ब्याज अनुदान का क्लेम किया गया है			क्लेम किये गये ब्याज अनुदान का विवरण	
			राशि	दिनांक					
अवधि	प्राप्त किये गये ब्याज अनुदान की राशि	1–मूलधन (किश्त) सावधि ऋण 2–ब्याज (किश्त व दर) सावधि ऋण पर योग			1–मूलधन (किश्त) सावधि ऋण योग 2–ब्याज (किश्त व दर) सावधि ऋण पर योग	राशि	दिनांक	भुगतान किये गये ब्याज की राशि का : अनुदान	ब्याज अनुदान क्लेम राशि
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

क0	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
	20	21	22	23
1	अकुशल वर्ग अ .... ब .... स			
2	कुशल वर्ग अ .... ब .... स			
3	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ .... ब .... स			
4	प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स			

घोषणा पत्र

1– प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सही है व वित्तीय संस्था / बैंक को देय अवधि .... में देय मूलधन / ब्याज की किश्त का भुगतान नियमित रूप से किया गया है –

2– उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वापसी के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि मय ब्याज के 15दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी ।

3– वित्तीय संस्था / बैंक से उद्योग की तकनीकी प्रोन्नति हेतु लिये गये ऋण का उपयोग निम्नानुसार किया गया है।

अ–

ब–

स–

(टीपः– मूलधन / ब्याज की किश्त के भुगतान हेतु यदि स्थगन दिया गया है तो तत्संबधी प्रमाणन का भी उल्लेख किया जावे) ।

औद्योगिक इकाई के अधिकृत व्यक्ति
अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

वित्तीय संस्था के अधिकृत व्यक्ति
हस्ताक्षर
नाम
पद
वित्तीय संस्था का नाम व पता

"उपाबंध 2"
(नियम 6.4)
निरीक्षण टीप

1– औद्योगिक इकाई के छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी प्रोन्नति नियम 2004 के अन्तर्गत ब्याज अनुदान क्लेम अवधि के संबंध में औद्योगिक इकाई का स्थल निरीक्षण किया गया । इकाई में उत्पादन चालू / बंद है ।

2– औद्योगिक इकाई में वर्तमान में नियोजित रोजगार की निम्न स्थिति है–

क0	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को रोजगार		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
		औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार	
1	अकुशल वर्ग अ .... ब .... स					
2	कुशल वर्ग अ .... ब .... स					
3	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ .... ब .... स					
4	प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स .... योग–					

3– औद्योगिक इकाई द्वारा उद्योग में की गयी तकनीकी प्रोन्नति का मशीनों की कार्य क्षमता / उत्पादन लागत / श्रम नियोजन पर निम्नानुसार प्रभाव पड़ा है–

अ–

ब–

स–

4– अनुशंसा/ अभिमत

हस्ताक्षर
निरीक्षण कर्ता अधिकारी का नाम व पद

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\IP SEC\New policy- 2004-09.doc

"उपाबंध 3"
(नियम 6.4)

प्रौद्योगिकी प्रोन्नति कोष से ब्याज अनुदान हेतु स्वीकृति आदेश
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक दिनांक द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी प्रोन्नति अनुदान नियम 2004 के नियम कमांक "6.4" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार ब्याज अनुदान के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है ।

क0	औ0इकाई का नाम व पता	उत्पाद व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक	ऋण वितरण का प्रथम दिनांक	वित्तीय संस्था / बैंक जो औ0 इकाई का वित्त पोषक है	ब्याज अनुदान की पात्रता अवधि व अधिकतम राशि	स्वीकृति आदेश के पूर्व वितरित राशि – अवधि....... तक	स्वीकृत स्वत्व	
							अवधि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2– यह राशि वित्तीय वर्ष– के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी

मांग संख्या– 11
2852– उद्योग (80)– सामान्य
(800) अन्य व्यय
0101– राज्य आयोजना(सामान्य)
5448– प्रौद्योगिकी प्रोन्नति कोष की स्थापना
13– आर्थिक सहायता
001 प्रत्यक्ष सहायता (आयोजना)

उद्योग आयुक्त/ महाप्रबंधक
उद्योग संचालनालय,/ जिला व्यापार एवं उद्योग
केन्द्र
छत्तीसगढ़

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\IP SEC\New policy- 2004-09.doc

"उपाबंध–4"
(नियम 5.1)
(अपात्र उद्योगों की सूची)

(1) आईस फैक्ट्री, आईसक्रीम, आईस कैण्डी, आईस फ्रुट बनाना
(2) कन्फेक्शनरी, बिस्किट् तथा बेकरी प्रोडक्ट (यंत्रीकृत प्रकिया से प्रमाणीकरण प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(3) मिठाई निर्माण, गजक एवं रेवड़ियां,
(4) नमकीन निर्माण, खाने के नमक का शुद्धिकरण (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(5) मसाला/मिर्ची पिसाई, पापड़ बनाना (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(6) फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर)
(7) हालर मिल
(8) बुक वाईडिंग, लिफाफा निर्माण, पेपर बेग्स, प्लेइंग कार्ड, पेपर कोन बनाना
(9) आरा मिल, सभी प्रकार के वूडन आयटम, कारपेन्ट्री, वूडन फर्नीचर (वूडन हेण्डीक्राट को छोड़कर)
(10) क्लाथ/पेपर प्रिंटिंग प्रेस (हेण्डीकाफ्ट प्रिंटिंग व ऑफसेट प्रिंटिंग को छोड़कर)
(11) ईंट निर्माण, कवेलू निर्माण (फ्लाई एश ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व यंत्रीकृत प्रकिया से ईंट निर्माण को छोड़कर)
(12) टायर रिट्रेडिंग (जॉब वर्क)
(13) स्टोन क्रेशर, गिट्टी निर्माण
(14) कोल ब्रिकेट, कोक व कोल स्कीनिंग, कोल फ्यूल
(15) खनिज पावडर बनाना (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(16) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर, मिनरल पाउडर व चूना निर्माण
(17) लेमिनेशन (जूट बेग्स लेमिनेशन को छोड़कर)
(18) इलेक्ट्रिकल जॉब वर्क
(19) सोडा/मिनरल/डिस्टिल्ड वाटर (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(20) पान मसाला, सुपारी, तंबाकू गुटखा बनाना
(21) आतिशबाजी, पटाखा निर्माण
(22) रिपेकिंग ऑफ गुड्स
(23) चाय का ब्लेंडिग तथा पेकिंग (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(24) फोटो लेबोरिटीज
(25) साबुन एवं डिटर्जेंट (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(26) सभी प्रकार के कूलर
(27) फोटो कापिंग, स्टैंसलिंग
(28) रबर स्टाम्प बनाना
(29) बारदाना मरम्मत
(30) पॉलीथीन बेग्स (एच.डी.पी.ई. को छोड़कर)
(31) लेदर टेनरी
(32) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम (निजी कम्पनियो के साथ संयुक्त उपक्रमो को छोड़कर)
(33) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाएं

"उपाबंध–5"
(नियम 6.2)
(अभिस्वीकृति)
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला..................................

मेसर्स .... पता.. .... द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी प्रोन्नति अनुदान नियम 2004.................................. .... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक..................... (अक्षरी).. को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन कमांक .... है । भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन कमांक का उल्लेख करें ।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / प्राधिकृत
प्रतिनिधि
सील

प्रति,

मेसर्स...
....
....

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\IP SEC\New policy- 2004-09.doc